Share Department, Finance Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel No's: 011-28044866, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra – KurlaComplex, Bandra (E), **Mumbai – 400 051**	The Dy. General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

28.02.2019

Dear Sir (s),

Reg.: Abridged Notice in respect of EGM to be held on 28.03.2019 - Publication in Newspaper

This is in continuation of our letter dated 26.02.2019 vide which date of Extraordinary General Meeting was conveyed.

The exchange is now informed that abridged notice to the effect has been published in Business Standard newspaper (English and Hindi Edition) on 28.02.2019 (copy enclosed).

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

[Signature]

[Stamp: पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. H.O. Sector-10, Dwarka, New Delhi-75]

(Balbir Singh)
Company Secretary

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

Head Office : Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Thursday, the 28th March 2019, at 10.00 A.M. at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution (s):

RESOLUTIONS:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the '**Act**') read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the '**Scheme**') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the '**Regulations**') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **(SEBI ICDR Regulations)**, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **(SEBI LODR Regulations)** and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "**Board**" which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot 80,20,63,535 Equity Shares of face value of Rs. 2/- each fully paid at a premium of Rs. 71.66 per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 amounting up to Rs. 5,908 crore (Rupees Five Thousand Nine Hundred Eight Crore only) to Govt. of India on preferential basis.**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 26.02.2019, being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter V of the "SEBI ICDR Regulations" 2018, and shall rank pari passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines/regulations / notifications / clarifications that are in force at the time of such declaration issued by SEBI in this regard"

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or Chief Finance Officer (CFO) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For **Punjab National Bank**
Sd/-
(P K Sharma)
Chief Finance Officer

Place: New Delhi
Date: 26.02.2019

NOTES:

1. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is **21.03.2019**.
2. Detailed notice of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are being dispatched/emailed to shareholders and are also available for downloading from the website of the Bank viz. **www.pnbindia.in** (Investors' Info Page).
3. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 P.M. on Friday, 22nd March, 2019 (23rd March, 2019 being a holiday). The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
4. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS** – Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing agreement with Stock Exchanges, and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is providing the shareholders facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means through e-voting platform provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic system from a places other than the venue of the meeting ('remote e-voting')
5. **VOTING RIGHTS**

I. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, as amended, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

II. As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.

III. Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 21.03.2019 shall have one vote for each share held by him/her.

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. नई दिल्ली-75

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
(ई–मेलः hosd@pnb-co-in)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को प्रातः 10.00 बजे** मल्टीपर्पज हॉल, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार–विमर्श किया जायेगा :–

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रुप में पारित करना :

'**संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में '**योजना**' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद '**विनियमन**' कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में '**अधिनियम**' कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआई)**, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में '**निदेशक मंडल**' कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) **बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जानी चाहिए और एतद्द्वारा ऐसी सहमति प्रदान की जाती है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुरूप निर्धारित रु. 71.66 प्रति शेयर प्रीमियम पर पूर्णतः चुकता अंकित मूल्य रु. 2/– प्रत्येक के 80,20,63,535 इक्विटी शेयर, जिनकी कुल राशि रु. 5,908 करोड़ (रुपए पांच हजार नौ सौ आठ करोड़ मात्र) होगी, अधिमानी आधार पर भारत सरकार के लिए सृजित, प्रस्ताव, जारी एवं आवंटित करें।**

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऊपर उल्लिखित इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि 26.02.2019 होगी"।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें ।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान्यता आधार पर निर्गत एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में जारी किए जाएंगे और सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के अध्याय V के प्रावधानों के अंतर्गत यथावश्यक लॉक–इन अपेक्षाओं के विषयाधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो) सम मात्रा रैंक के होंगे।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।'

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें ।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **पंजाब नैशनल बैंक**
हस्ता./–
(पी. के. शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.02.2019

टिप्पणियाँ :

1. एजेंडा मद के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कटऑफ तिथि **21.03.2019** है ।
2. उपर्युक्त बैठक का विस्तृत नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि शामिल है, शेयरधारको को प्रेषित/ई मेल किए जा रहे है और इन्हें बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in** (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।
3. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म/ प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी करने के लिए उसे **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075** को संबोधित किये जाये और बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 (23 मार्च को अवकाश होने के कारण) को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् सांय 5.00 बजे से पूर्व बैंक को प्राप्त हो जायें। इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वह ग्रांटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है।
4. **ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया**–सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी ईजीएम में विचारणीय संकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं (रिमोट ई–वोटिंग)।
5. **वोटिंग अधिकार**

i) अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है ।

ii) विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा ।

iii) उपर्युक्त के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक को, जिसे कट–ऑफ तिथि अर्थात् 21.03.2019 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, स्वयं द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।